भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध वभाग

लोक सभा
अतारां कत प्रश्न संख्या **4**50
दिनांक 04 फरवरी**,** 2020 को उत्तर दिए जाने के लए

एन.पी.पी.ए. द्वारा मूल्य नियंत्रण

450. श्रीमती अपराजिता सारंगी**:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्रा धकरण (एनपीपीए) द्वारा मूल्य नियंत्रण प्रणाली के तहत दवाओं को रखने के लए अपनाए गए मानक क्या हैं;
(ख) मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत रखी गई जीवन रक्षक दवाओं का ब्यौरा क्या है और बाजार मूल्य की तुलना में ऐसी दवाओं की कीमतें क्या हैं; और
(ग) सरकार द्वारा देश में जीवन रक्षक दवाओं के अनुसंधान और वकास के लए प्रदान कए जा रहे समर्थन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक मंत्री (वी सदानंद गौडा.श्री डी)

(क)**:** सरकार द्वारा समय-समय पर घो षत की गई औषध नीति में आम जनता को उ चत मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति, 2012 (एनपीपीए) को दवाओं के मूल्य निर्धारण के लए एक नियामक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से अ धसू चत कया गया था ता क फार्मा उद्योग की वृद् ध का समर्थन करने के लए नवाचार और प्रतिस्पर्धा के लए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए अपे क्षत दवाओं "आवश्यक दवाओं" की उपलब्धता उ चत कीमतों पर सुनिश्चित की जा सके। जिससे सभी को रोजगार और आ र्थक संपन्नता का उद्देश्य पूरा हो सके।

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति, 2012 की घोषणा के अनुसरण में सरकार ने दिनांक 15 मई, 2013 को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) अ धसू चत कया। आवश्यक दवाइयों की राष्ट्रीय सूची 2011 (एनएलईएम) में वनिर्दिष्ट सभी दवाइयों को डीपीसीओ, 2013 को प्रथम अनुसूची में शा मल कया गया और मूल्य नियंत्रण में लाया गया।

डीपीसीओ, 2013 के तहत, दवाओं की कीमतें 'बाजार आधारित मूल्य निर्धारण' पद्धति पर तय की जाती हैं। एनपीपीपी, 2012 में उल्लि खत सद्धांतों के अनुसार 'बाजार आधारित मूल्य निर्धारण'

पद्धति को अपनाया गया है। एनएलईएम 2015 में 949 अनुसूचित दवा फार्मूलेशन अंतर्निहित हैं जो 31 चिकित्सकीय समूहों में बटे हुए हैं।

(ख): जीवन रक्षक दवाओं को डीपीसीओ, 2013 में परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2011 (एनएलईएम) में निर्दिष्ट सभी दवाओं को मूल्य विनियमन के उद्देश्य के लिए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। एनपीपीए ने बाजार आधारित मूल्य निर्धारण पद्धति पर 530 अनुसूचित सम्मिश्रणों की अधिकतम कीमतें तय कीं। मूल्य निर्धारण से पहले प्रचलित उच्चतम मूल्य की तुलना में डीपीसीओ, 2013 के तहत निर्धारित अनुसूचित सम्मिश्रणों की कीमतों में कमी का विवरण निम्नानुसार है:

अधिकतम मूल्य के संबंध में% कमी	दवाओं की संख्या
0 <= 5%	80
5 <= 10%	50
10 <= 15%	57
15 <= 20%	43
20 <= 25%	65
25 <= 30%	49
30 <= 35%	26
35 <= 40%	34
40% से ऊपर	126
	530

इसके अलावा, एनएलईएम, 2015 को अपनाते हुए डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची I में संशोधन किया गया। तदनुसार, एनपीपीए ने बाजार आधारित मूल्य निर्धारण पद्धति पर 860 अनुसूचित सम्मिश्रणों की अधिकतम कीमतें तय की हैं। मूल्य निर्धारण से पहले प्रचलित उच्चतम मूल्य की तुलना में डीपीसीओ, 2013 के तहत निर्धारित अनुसूचित सम्मिश्रणों की कीमतों में कमी का विवरण निम्नानुसार है :

अधिकतम मूल्य के संबंध में% कमी	सम्मिश्रणों की संख्या
0 <= 5% *	236
5 <= 10%	138
10 <= 15%	98
15 <= 20%	100
20 <= 25%	92
25 <= 30%	65
30 <= 35%	46
35 <= 40%	26
40% से ऊपर	59
एनएलईएम 2015 में कुल योग	860

तय किए गए अधिकतम मूल्यों का विवरण एनपीपीए की वेबसाइट अर्थात् www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) वज्ञान और प्रौद्यो गकी वभाग वर्ष 1994-95 से दवा एवं औषध अनुसंधान कार्यक्रम (डीपीआरपी) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें सहयोगी परियोजनाओं (उद्योग-शैक्ष णक भागीदारी) और राष्ट्रीय सु वधा परियोजनाओं (अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजना) के कार्यकलाप शा मल हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान, भारतीय औषध उद्योग को लचीला ऋण देते हुए कार्यक्रम शुरू कया गया। इसके अलावा, इस कार्यक्रम ने वर्ष 2008-09 के बाद मलेरिया, काला-अजार, तपेदिक, फाइलेरिया आदि जैसी उपे क्षत बीमारियों में नैदानिक परीक्षण के लए भारतीय औषध उद्योग को अनुदान सहायता देने का समर्थन कया।

डीपीआरपी के ऋण घटक को 2018-19 के बाद से बंद कर दिया गया था, क्यों क इसी प्रकार के कार्यक्रम जैव प्रौद्यो गकी वभाग के प्रौद्यो गकी वकास बोर्ड (टीडीबी) और जैव प्रौद्यो गकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) में कार्यान्वित कए जा रहे हैं। डीपीआरपी के अन्य घटक जैसे क सहयोगात्मक परियोजनाएं, सु वधा परियोजनाएं और नैदानिक परीक्षणों के लए भारतीय औषध उद्योग को अनुदान सहायता जारी रखी जा रही हैं।

जैव प्रौद्यो गकी वभाग (डीबीटी), ने जैव औषध के लए उत्पाद वकास को मजबूत बनाने की दिशा में, एक मशन आरंभ कया है जिसका नाम है: जैव औषधों के लए पूर्व वकास हेतु अन्वेषण अनुसंधान को त्वरित करने के लए उद्योग-शैक्ष णक सहयोग मशन-भारत में नवाचार (आई3) जैव प्रौद्यो गकी उद्य मयों को सशक्त बनाना और समावेशी नवाचार में तेजी करना।" वश्व बैंक ऋण के माध्यम से 50% वत्त पोषण के साथ पाँच वर्षों के लए 250 म लयन यूएस $ की कुल लागत पर मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय जैव फार्मा मशन को जैव प्रौद्यो गकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) - जैव प्रौद्यो गकी वभाग का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (डीबीटी), द्वारा कार्यान्वित कया जा रहा है। मशन (i) न्युमोकोकस, डेंगू, एचपीवी और भारत में उच्च बोझ की अन्य बीमारियों के लए प्रत्या शयों के लए टीके (ii) कैंसर, मधुमेह और रुमेटाइड गठिया के लए बायो समलर और (iii) च कत्सा उपकरण और निदान (iv) प्र क्रया वकास प्रयोगशाला; जैव च कत्सा वज्ञान के लए रसायन वज्ञान, वनिर्माण, नियंत्रण इकाइयां और सीजीएलपी वैधीकरण सु वधा के वकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। डीबीटी ने रोगों में अनुसंधान एवं वकास परियोजनाओं का समर्थन कया है जिसमें जापानी इंसेफेलाइटिस, चकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, वसरल कालाजार और माइक्रोबियल रोधी प्रतिरोध शा मल हैं।

औषध वभाग ने परास्नातक और डॉक्टरेट शक्षा प्रदान करने और औषध के व भन्न वशेषज्ञताओं में अनुसंधान करने के लए पूरे देश में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में सात राष्ट्रीय औषध शक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) की स्थापना की है।

****